विषय - संविधान एवं राजव्यवस्था
दिनांक - 10|08|2020

Pl.

प्रश्न 1(A)
उत्तर - 1909 का अधिनियम - 1909 ईस्वी मे लाये गये इस सुधार अधिनियम को मार्ले मिण्टो सुधार भी कहा जाता है इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी।

उत्तर 1(B) उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा मे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। इसमें भारतीय संविधान के दर्शन की झलक थी।

उत्तर 1(C) सरकार की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है
इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है

उत्तर 1(D)

VIJAYANT PAGE NO.: DATE:

P/2

उत्तर 1(E) **क्षेत्रीय परिषद**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है।

उत्तर 1(F) अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका, ऐसी विधियों को शून्य घोषित कर सकती है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो।

उत्तर 1(G) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध अधिनियम का उल्लेख है। इसके अंतर्गत संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।

उत्तर 1(H) मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है ~~जिसमें~~ जो मंत्रिपरिषद से अधिक शक्तिशाली होता है।

उत्तर
1 (I)

उत्तर
1 (J)

उत्तर
1(K) भारतीय ~~अर्थ~~ अर्थव्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कायम करने के लिए सन् 2009 में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है।

उत्तर
1(L) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। भारत सरकार की समस्त आय सर्वप्रथम संचित निधि में ही जमा की जाती है।

उत्तर
1(m) भारत के राष्ट्रीय स्तर के दल
1) भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
2) भारतीय जनता पार्टी
3) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
4) राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी
5) तृणमूल कॉंग्रेस पार्टी

उत्तर
1(N)

उत्तर
1(o) ~~तदर्थ~~ तदर्थ न्यायधीश - पूर्णतः पदस्थापना से पूर्व नियुक्त न्यायधीश तदर्थ न्यायधीश कहलाते हैं।

P/5

उत्तर
2(A) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत अथवा इसके किसी भू-भाग को खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके निम्न आधार हो सकते हैं –

(i) युद्ध
(ii) बाह्य आक्रमण
(iii) सशस्त्र विद्रोह
(iv) आसन्न खतरा अर्थात् उपरोक्त तीनों कारणों का आभास होने पर।

युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपातकाल बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जारी आपातकाल आंतरिक आपातकाल कहलाता है।

'सशस्त्र विद्रोह' शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है।

उत्तर
2(B) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का वर्णन है। इसकी कर्तव्य एवं शक्तियों के निर्धारण हेतु संसद द्वारा 'महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971' पारित किया है, जिसके अनुसार इसके निम्न कर्तव्य एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं –

9/6

- वह भारत की संचित निधि, ए प्रत्येक राज्य की संचित निधि की लेखा परीक्षा करता है
- वह केन्द्र और राज्य सरकारों की आय एवं व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
- वह सरकार के लाभ-हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
- वह औचित्य लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा आदि भी करता है।

स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा के संदर्भ में कैग के विस्तृत अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित हैं।

उत्तर 2 (D) भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। स्थानीय शासन के रूप में इसका निम्न महत्व है —

(i) इसने सामाजिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया है।

(ii) समाज के निचले तबके को भी सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर मिला है।

(iii) महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को स्थान करने से उनका सशक्तिकरण हुआ है।

(iv) स्थानीय स्तर पर राजनैतिक चेतना का विकास होने से, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भूमि सुधार, कृषि एवं पेयजल तथा रोजगार संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने में सफलता मिली है।

उत्तर 2(E) लोकलेखा समिति का गठन सर्वप्रथम सन् 1921 में किया गया था तब से यह अस्तित्व में है इसकी भूमिका निम्नानुसार है – (संक्षेप)

यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच कर ~~सरकार~~ कार्यपालिका की जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है।

यह सीएजी के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है।

यह भारत सरकार के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे की जाँच करती है जिससे सरकार का वैधानिक न्याधिकार सुनिश्चित किया जाता है।

इस प्रकार इस समिति की भूमिका कार्यपालिका के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

उत्तर 2(F) भारतीय संविधान एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय संविधान है इसके प्रमुख एकात्मक लक्षण निम्न हैं–

(i) संविधान का लचीलापन।
(ii) एकल संविधान।
(iii) एकल नागरिकता।
(iv) एकीकृत न्यायपालिका।
(v) संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार।
(vi) राज्यपाल का पद।
(vii) आपातकालीन उपबंध (अनुच्छेद 352, 356, एवं 360)
(viii) ~~सभ~~ राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति को वीटो पावर
(ix) राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व
(x) राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता।

स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में अनेक एकात्मक तत्व मौजूद है।

उत्तर 2(a)

न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए वह विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जाँच कर सकता है * एवं ऐसे सभी कानूनों एवं नीतियों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो।

अनुच्छेद 13 :- राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद 32 :- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय 05 प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 132 :- संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय को है।

उत्तर 2(H)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं का महत्व पुलिस राज्य में भी स्पष्ट था; परंतु वर्तमान कल्याणकारी राज्य में इसकी भूमिका में और अधिक वृद्धि हुई है। जो कि इसकी आवश्यकता को निम्नानुसार समझा जा सकता है –

- नीतियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य एजेंसी है।
- लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु।
- लोक प्रशासन के बढ़ते दायरे को सही दिशा प्रदान करने हेतु।
- नागरिक सेवा आपूर्ति हेतु।

उत्तर 2(E)

राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में की गयी है।

संरचना –

अध्यक्ष
1 2 3 4
4 सदस्य

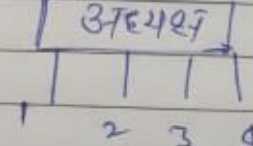

कार्य – महिलाओं संबंधी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना।
महिला संरक्षण संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

8/10

महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाँच करना एवं इस संबंध मे सरकार को सलाह देना।

असहाय एवं परित्यक्त महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

हाल ही मे इसने लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं मे महिला आरक्षण के पक्ष मे एक विशाल जनमत तैयार किया है

उपरोक्त के अतिरिक्त दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को देखते हुए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' बनाने की सिफारिश भी महिला आयोग ने की है

उत्तर
2 (c) जन भागीदारी की अवधारणा अत्यधिक प्राचीन है; जिसका सर्वप्रथम प्रमाण 'प्राचीन यूनान की शासन व्यवस्था' में मिलता है

नागरिकों का नीति निर्माण, क्रियान्वयन तथा समीक्षा गतिविधियों में सम्मिलित होना जन भागीदारी या जन सहभागिता कहलाता है

स्टेसीन के अनुसार – " भागीदारी प्रशासन कार्यों में एक प्रकार का नागरिक हस्तक्षेप है"

सीमाएँ (i) अत्यधिक जन भागीदारी से प्रशासन की गतिशीलता प्रभावित होती है

(ii) प्रशासन का राजनीतिकरण होता है

(iii) कई बार प्रशासन तंत्र भीड़ तंत्र मे बदल जाता है

~~(iv)~~ इसके अलावा जनता का उपेक्षित

व्यवहार, प्रशासन की जड़ता, अशिक्षा, ग्रामीण रूढ़िवादिता, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव आदि जनसहभागिता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं।

उत्तर
(3A)

भारतीय संविधान का भाग - 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसे 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। यह भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है।

इस भाग अनुच्छेद 19 से 22 तक 6-प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है।

वर्णित वर्तमान में भाग 3 में वर्णित स्वतंत्रता के प्रावधान निम्नानुसार है -

अनुच्छेद 19(i) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

यह प्रत्येक व्यक्ति को विचारों को अभिव्यक्त करने मत देने एवं अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रखने का अधिकार देता है।

ऐसे की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है।

अनुच्छेद 19(ii)- शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(iii) संगम या संघ बनाने का अधिकार।

अनुच्छेद 19(iv) - भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार।

अनुच्छेद 19(v) – भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भूभाग में बस जाने, निवास करने या निर्बाध घूमने का अधिकार।

अनुच्छेद 19(vi) – कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

अनुच्छेद – 20 – अपराध के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण
यह किसी भी दोषीव्यक्ति या अभियुक्त को मनमाने एवं अतिरिक्त दण्ड से बचाता है।

अनुच्छेद – 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
इसमें घोषणा की गयी है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 21(A) – शिक्षा का अधिकार
86वें संविधान संशोधन अधि० 2002 द्वारा प्रस्थापित इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद – 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण
यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।

VIJAYANT
PAGE NO.:
DATE:

9/14

स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के भाग - 3 में नागरिकों को स्वतंत्रता के पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये हैं।

उत्तर
3 B

P/15

भारत का सर्वोच्च न्यायालय - संघीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय, नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर है। अतः इसके पास पर्याप्त क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ हैं। जो निम्नानुसार हैं —

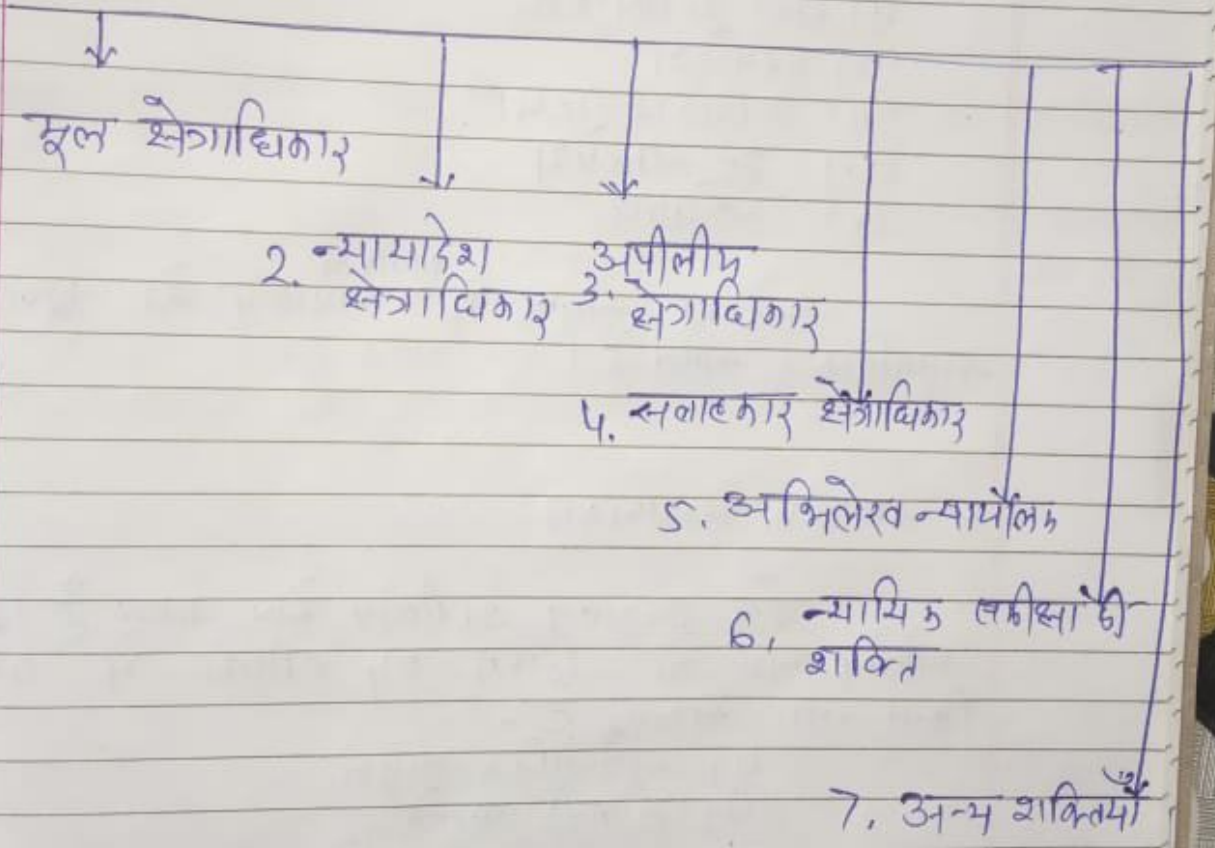

मूल क्षेत्राधिकार - इसके अंतर्गत यह संघीय ढाँचे की विभिन्न इकाइयों मध्य विवाद उत्पन्न होने पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है।

2. न्यायादेश क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर यह 05 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है जो निम्नानुसार हैं-

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(ii) परमादेश
(iii) अधिकार पृच्छा
(iv) प्रतिषेध
(v) उत्प्रेषण

उपरोक्त संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है।

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार.

इसे उच्चतम अपीलीय क्षेत्र प्राप्त है। इसके अपीलीय क्षेत्र को निम्न 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

(i) संवैधानिक मामले
(ii) दीवानी मामले
(iii) आपराधिक मामले
(iv) उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से कोई मामला।

4. सलाहकारी शक्तियाँ.

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से निम्नो प्रकार के मामलों

मे सलाह ले सकता है -

(i) सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर।

(ii) किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा या सनद आदि मामलो मे विवाद उत्पन्न होने पर।

5. अभिलेख न्यायालय

इस रूप मे इसके पास निम्न दो शक्तियाँ है -

(i) उच्चतम न्यायालय के फैसले एवं कार्यवाही सार्वकालिक अभिलेख एवं ~~*~~ एवं साक्ष्य के रूप मे रखे जायेगे।

(ii) इसकी अवमानना करने पर, यह दंडित कर सकता है।

6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

इसके अंतर्गत वह केन्द्र एवं राज्य दोनो स्तर की ~~मार्यव~~ विधायी, व कार्यकारी आदेशो की समीक्षा कर सकता है। इसके निम्न आधार होते है -

- विधि मूल अधिकारो का उल्लंघन करती हैं।
- यह निर्धारित प्राधिकार से बाहर हो।
- संवैधानिक उपबंधो का उल्लंघन करती हो।

अन्य शक्तियाँ

ऊपर वर्णित शक्तियों के अलावा यह
i) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का निपटारा,
ii) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जाँच
iii) अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करना
iv) लंबित मामलों को अपने पास मंगवाना
v) संविधान का इकलौता व्याख्याता है
vi) देश के सभी न्यायालयों एवं पंचाटों के क्रियाकलापों पर इसका नियंत्रण है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं।